

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार
सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/ संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
जल संसाधन विभाग झारखंड।

राँची, दिनांक 07/09/21

विषय :- वित्तीय वर्ष 2021-22 के मांग संख्या- 50-जल संसाधन विभाग(लघु सिंचाई प्रभाग) मुख्य शीर्ष-2702- लघु सिंचाई, उप मुख्य शीर्ष-02-भू-जल, लघु शीर्ष-005 अन्वेषण, उप शीर्ष-01 सर्वेक्षण और जाँच मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।


महाशय,

वित्तीय वर्ष 2021-22 में बजट मुख्य शीर्ष 2702- लघु सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 50 जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)/ 2702-लघु सिंचाई	02- भू-जल	005-अन्वेषण/ 01-सर्वेक्षण एवं जाँच	877.573

कुल आवंटित राशि - रुपये आठ करोड़ सतहत्तर लाख सतावन हजार तीन सौ मात्र।

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट उपबंध रु. 11293.27 लाख (एक सौ बारह करोड़ तिरानबे लाख सताईस हजार मात्र) के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003, एवं 1681(वि०) दि० 16.06.15 के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।
- प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।



(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)




(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि.)

7. सेवानिवृत्त कर्मियों को अनुमान्य एक मुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता, वित्त विभाग के पत्रांक-170 दिनांक-01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायेगी।
8. कोषागार से, आवंटित राशि की निकासी, योजना सह वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) झारखण्ड सरकार के द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेश के आलोक में किया जाएगा।
9. वित्त विभाग के पत्रांक - 29/बी टी ई-18/2014-15 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
10. मकान किराया भत्ता मद में आवंटित राशि का भुगतान नियमानुसार सक्षम स्तर से किराया निर्धारण तथा अन्य संबंधित आवश्यक अभिलेखों के उपलब्धता के उपरांत ही अनुमान्य राशि तक सीमित कर किया जायेगा।
11. यदि आवंटित राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं दिया जायेगा। अतिरिक्त आवंटन की अधियाचना के विरुद्ध आवंटन तभी निर्गत किया जायेगा जब पूर्व निर्गत आवंटन के विरुद्ध शत-प्रतिशत व्यय सुनिश्चित कर लिया जायेगा।
12. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन को छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का तुरंत प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यर्पण Online किया जाय साथ ही पूर्ण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन इकाईवार हार्ड कॉपी में Access No तथा Revoke No/ Surrender No का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
13. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत्त कर्मियों को सेवानिवृत्ति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (chronological order) किया जाय।
16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च, 2022 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त



(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 100

रॉची, दिनांक :- 07/09/21

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. - हिन्नु, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरंडा/मेदिनीनगर/हजारीबाग/खूंटी/गढ़वा/गुमला/गोड्डा/चतरा/चाईबासा/धनबाद/बोकारो/रामगढ़/सरायकेला/देवघर/सिमडेगा/दुमका/गिरीडीह/जमशेदपुर/लातेहार/पाकुड़/जामताड़ा/साहेबगंज/कोडरमा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त



(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 100


रॉची, दिनांक :- 07/09/21

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमंडल-3, को Online Sanction निर्गत करने हेतु/प्रशाखा-7 को पांच अतिरिक्त प्रतियों में/सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग/वेब सूचना प्रबंधक, ज०सं०वि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त


(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)


(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि.)


(प्रशांत कुमार)
सचिव

नांग संख्या-50-जल संसाधन विभाग(लघु सिंचाई प्रभाग)
मुख्य शीर्ष-2702-लघु सिंचाई/उप मुख्य शीर्ष-02-भू-जल
लघु शीर्ष-005 अन्वेषण/उप शीर्ष-01 सर्वेक्षण और जॉब

परिशिष्ट I

पत्रांक 100 दिनांक 07/09/21 का अनुमति

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	वित्तीय वर्ष 2021-2022			वित्तीय शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते			वित्तीय शीर्ष-02-देशीय यात्रा व्यय			वित्तीय शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय			वित्तीय शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मत			वित्तीय शीर्ष-07-विशेष प्रभार			कुल योग	अभियुक्ति
		विषय कोड	वेतन	एलएटीसी	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया, दर, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	बर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मत	विशेष प्रभार								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, दुमका	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	18.000 37.000	0.000 0.000	0.400 0.000	0.500 0.250	0.000 0.000	0.000 0.300	0.200 0.100	0.000 0.000	0.000 0.000	0.800 0.000	0.000 0.000	19.900 37.650							
2	योजना मीटिंग एवं आयोजन अंचल-3, रेंची	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	50.000 60.000	0.000 0.000	0.300 0.000	0.400 0.600	0.000 0.000	0.000 0.000	0.150 0.150	0.000 0.000	0.000 0.000	0.700 1.800	0.000 0.000	51.550 62.550							
3	लघु सिंचाई अंचल, देवर	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	110.000 16.000	0.000 0.000	0.300 0.300	1.000 0.300	0.000 0.000	0.000 0.000	0.300 0.150	0.000 0.000	0.000 0.000	2.500 0.600	0.000 0.000	114.100 17.350							
4	लघु सिंचाई अंचल-रेंची	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	38.750 80.000	0.000 0.000	0.300 0.300	0.300 0.200	0.000 0.000	0.000 0.000	0.150 0.100	0.000 0.000	0.000 0.000	0.800 0.600	0.000 0.000	40.300 81.350							
5	लघु सिंचाई अंचल-इजारीबाग	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	160.000 70.000	0.000 0.000	0.300 0.300	0.500 0.300	0.000 0.000	0.000 0.000	0.250 0.150	0.000 0.000	0.000 0.000	0.600 0.500	0.100 0.150	161.750 71.350							
6	लघु सिंचाई गुण नियंत्रण प्रमंडल-रेंची	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	77.000 189.000	0.250 0.000	0.900 0.250	0.600 0.250	0.150 0.000	0.300 0.200	0.150 0.100	0.000 0.000	0.000 0.000	1.100 0.500	0.150 0.000	80.600 190.100							
7	लघु सिंचाई प्रमंडल-कोडरमा	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	239.000 123.000	0.100 0.000	0.250 0.250	0.450 0.250	0.000 0.000	0.200 0.000	0.200 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.800 0.500	0.100 0.000	241.100 124.000							
8	लघु सिंचाई प्रमंडल-चूँटी	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	134.800 146.000	0.000 0.000	1.250 0.250	0.550 0.250	0.320 0.000	0.300 0.000	0.050 0.100	0.000 0.000	0.000 0.000	1.200 0.500	0.100 0.000	138.570 147.100							
		कुल आवंटन	63.400	0.400	0.000	0.250	0.100	0.150	0.050	0.000	0.000	0.800	0.100	64.750							
		कुल आवंटन	209.400	0.400	0.250	0.500	0.100	0.150	0.150	0.000	0.000	0.800	0.100	211.850							

(राजेश्वर प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

(इयान किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि०)

(प्रयाग कुमार)
सचिव

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष 2021-2022			विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय											राशि लाख रुपये में	
	कार्यालय का नाम	विरुद्ध शीर्ष-01-वेतन एवं भत्तों	विरुद्ध शीर्ष-02-देशीय यातायात व्यय	कार्यालय व्यय	क्रिया, दर, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	विरुद्ध शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मत	विरुद्ध शीर्ष-07-विधि प्रसार	कुल योग	अभियुक्ति			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	लघु सिंचाई प्रमंडल-गिरीडीह	विरुद्ध कोड	वेतन	एलास्टीसिटी	देशीय यातायात व्यय	कार्यालय व्यय	क्रिया, दर, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मत	विधि प्रसार			
		50S2702020030 1000101		50S2702020005 01000112	50S2702020050 1000213	50S2702020050 1000315	50S2702020005 01000316	50S2702020000 501000323	50S2702020000 501000333	50S2702020005 01000324	50S2702020005 01000337	50S2702020005 01000442	50S2702020005 01000760		161.000	
			160.000	0.000	0.250	0.250	0.000	1.930	0.000	0.000	0.000	0.500	0.000		1.930	
			0.000	0.000	0.000	0.000	1.930	0.000	0.000	0.000	0.000	0.500	0.000		162.930	
			160.000	0.000	0.250	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.500	0.000		201.100	
10	लघु सिंचाई प्रमंडल-गुमला		200.000	0.000	0.250	0.250	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.500	0.000		101.460	
			100.460	0.000	0.000	0.250	0.000	0.200	0.050	0.000	0.000	0.300	0.200		302.560	
			300.460	0.000	0.250	0.500	0.000	0.200	0.150	0.000	0.000	0.800	0.200		125.000	
11	लघु सिंचाई प्रमंडल-चाईबासा		124.000	0.000	0.250	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.500	0.000		147.613	
			146.440	0.000	0.000	0.150	0.573	0.150	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000		272.613	
			270.440	0.000	0.250	0.400	0.573	0.150	0.000	0.000	0.000	0.800	0.000		401.100	
12	लघु सिंचाई प्रमंडल-दुमका		400.000	0.000	0.250	0.250	0.000	0.000	0.150	0.100	0.000	0.500	0.000		1.970	
			0.000	0.000	0.000	0.200	1.200	0.150	0.020	0.000	0.000	0.300	0.100		403.070	
			400.000	0.000	0.250	0.450	1.200	0.150	0.120	0.000	0.000	0.800	0.100		161.000	
13	लघु सिंचाई प्रमंडल-पाकुड़		160.000	0.000	0.250	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.500	0.000		20.750	
			20.000	0.000	0.000	0.200	0.000	0.150	0.000	0.000	0.000	0.400	0.000		181.750	
			180.000	0.000	0.250	0.450	0.000	0.150	0.000	0.000	0.000	0.900	0.000		181.750	
14	लघु सिंचाई प्रमंडल, मेरिनीनगर		180.000	0.000	0.250	0.250	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.500	0.000		181.100	
			0.000	0.000	0.000	0.200	0.000	0.150	0.050	0.000	0.000	0.300	0.400		1.100	
			180.000	0.000	0.250	0.450	0.000	0.150	0.150	0.000	0.000	0.800	0.400		182.200	
15	लघु सिंचाई प्रमंडल-रामगढ़		200.000	0.000	0.250	0.250	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.500	0.000		201.100	
			150.000	0.000	0.000	0.300	0.000	0.300	0.000	0.000	0.000	1.100	0.150		151.850	
			350.000	0.000	0.250	0.550	0.000	0.300	0.100	0.000	0.000	1.600	0.150		352.950	
16	लघु सिंचाई प्रमंडल-सैधी		425.000	0.000	0.250	0.250	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.500	0.000		426.100	
			0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300		0.85000	
			425.000	0.000	0.250	0.55000	0.000	0.250	0.100	0.000	0.000	0.500	0.300		426.950	
17	लघु सिंचाई प्रमंडल-साहेबगंज		250.000	0.000	0.250	0.250	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.500	0.000		251.100	
			0.000	0.000	0.000	0.200	0.500	0.150	0.000	0.000	0.000	0.400	0.300		1.550	
			250.000	0.000	0.250	0.450	0.500	0.150	0.100	0.000	0.000	0.900	0.300		252.650	
18	लघु सिंचाई रूपकंण एवं मोनेटरिंग प्रमंडल, दुमका		40.000	0.000	0.250	0.250	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.500	0.000		41.100	
			0.000	0.000	0.000	0.200	0.000	0.150	0.000	0.000	0.000	0.400	0.000		0.750	
			40.000	0.000	0.250	0.450	0.000	0.150	0.100	0.000	0.000	0.900	0.000		41.850	

(सालोन्म प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)(रम्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि.)(प्रशांत कुमार)
सचिव100
07/09/21

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष 2021-2022	कार्यालय का नाम	वित्तुल शीर्ष-03-प्रशासनिक ध्यय														कुल योग	अभियुक्ति
			वित्तुल शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते	वित्तुल शीर्ष-02-देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया, दर, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	वित्तुल व्यय	वित्तुल शीर्ष-04-मोटरगाड़ियाँ इंधन एवं मरम्मत	वित्तुल शीर्ष-07-विविध प्रकार						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
19	लघु सिंचाई रूपांकण प्रमंडल, रौबी	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	190.000 30.000 220.000	0.000 0.000 0.000	0.250 0.200 0.450	0.000 0.000 0.000	0.200 0.200 0.100	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.100 0.100 0.000	0.000 0.000 0.000	0.500 0.400 0.900	0.000 0.000 0.000	191.100 30.800 221.900				
20	भूमार्ग जल सर्वेक्षण प्रमंडल-रौबी	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	80.000 71.990 151.990	0.000 0.000 0.000	0.250 0.870 1.12000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.120 0.120	0.000 0.050 0.150	0.100 0.050 0.150	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.500 0.800 1.300	0.000 0.000 0.000	81.100 73.830 154.930				
	अतिरिक्त आवंटन का योग		850.840	0.750	1.600	5.170	4.773	3.220	0.720	0.000	0.000	8.500	2.000	877.573				

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि-

रु. आठ करोड़ सतहत्तर लाख सतावन हजार तीन सौ मात्र।

(राजेश प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)100
07/09/21(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि.)(प्रशांत कुमार)
सचिव